राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप– 10) विभाग

क्रमांक :–प.11(16) गृह–10/13/ जयपुर, दिनांक :– 23/6/2015

–:परिपत्र:–

गृह (ग्रुप–10) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.11(16)गृह–10/13 दिनांक 29.01.14 में राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8.1 (3) के प्रावधानों के अधीन यह निर्देशित किया गया था कि चालान वाले प्रकरणों में अनुसंधान पत्रावली की स्कूटनी (संवीक्षा) अभियोजन अधिकारियों द्वारा की जायेगी। एनडीपीएस एक्ट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामलों में उप निदेशक अभियोजन द्वारा, समस्त सैशन प्रकरणों के मामलों में सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा एवं शेष प्रकरणों में सम्बन्धित सहायक लोक अभियोजक–प्रथम/द्वितीय द्वारा संवीक्षा की जायेगी।

सहायक निदेशक अभियोजन (प्रशासन) को सभी सैशन विचारण मामलों में ब्रीफ/स्कूटनी के अधिकार दिये जाने के कारण प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता आयी है। सहायक निदेशक अभियोजन का मुख्य कार्य जिले के सभी अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना, उनके कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन्हें निर्देशित करना होता है। अतः पुलिस की अनुसंधान पत्रावलियों की छानबीन के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्रों को अतिलंघित करते हुये उप निदेशक अभियोजन/ सहायक निदेशक अभियोजन/सहायक लोक अभियोजक प्रथम/सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली संवीक्षा (छानबीन) हेतु निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है:–

उप निदेशक अभियोजन

1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एवं एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में संवीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धित संभाग के उप निदेशक अभियोजन द्वारा तैयार की जायेगी, लेकिन जहॉ एनडीपीएस न्यायालय में पदस्थपित अभियोजन अधिकारी अभियोजन विभाग के नियमित कैडर से हैं, वहां संवीक्षा रिपोर्ट उप निदेशक अभियोजन के स्थान पर एनडीपीएस न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी (सहायक निदेशक अभियोजन) द्वारा बनायी जायेगी।

सहायक निदेशक अभियोजन

1. भ्रष्टाचार मामलों के विचारण के लिए स्थापित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामलों में आरोप–पत्र पेश करने से पूर्व उक्त न्यायालय में पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा पुलिस अनुसंधान पत्रावली की छानबीन/संवीक्षा (स्कूटनी) की जायेगी।
2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 128, 130, 302 से 304, 304बी, 306 व 376 तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम "पोक्सो अधिनियम" के अपराधों में जिले में पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा छानबीन/ संवीक्षा की जायेगी।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी

③
23/6/15

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी मामलों में सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायिक न्यायालय में पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय श्रेणी अनुसंधान रिपोर्ट की छानबीन/संवीक्षा (स्कूटनी) कर पत्रावली पुलिस को लौटायेंगे।

नोट:– सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में लिंक अधिकारी द्वारा संवीक्षा रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

इसके साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि:–

1. **सभी उप निदेशक अभियोजन/ सहायक निदेशक अभियोजन/ सहायक लोक अभियोजक प्रथम/ सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी संलग्न निर्धारित प्रारूप में, दो प्रतियों में संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे। मूल संवीक्षा रिपोर्ट अभियोजन पत्रावली के**

साथ संलग्न की जायेगी तथा दूसरी प्रति (कार्बन प्रति) मय पुलिस ब्रीफ, मासिक नक्शों के साथ निरीक्षणकर्ता अधिकारी को परीक्षण हेतु भिजवायी जायेगी।

2. सहायक लोक अभियोजक प्रथम/ सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी द्वारा तैयार की गयी संवीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण जिला मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा, सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा तैयार संवीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण संभाग के उप निदेशक अभियोजन द्वारा तथा उप निदेशक अभियोजन स्तर पर तैयार संवीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण निदेशक अभियोजन के स्तर पर किया जायेगा।
3. संवीक्षा रिपोर्ट के संबंध में अलग से रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसका निरीक्षण नियमित रूप से निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं निरीक्षण की रिपोर्ट निदेशक अभियोजन को भिजवायी जायेगी। रजिस्टर के पृष्ठ का प्रपत्र संलग्न है, जिसको रजिस्टर के रूप में संधारित किया जाये।
4. संलग्न प्रपत्र संख्या 1 से 7 का नियमित रूप से संधारण किया जाये।
5. अभियोजन अधिकारियों की संवीक्षा रिपोर्ट केवल अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाबत अभियोजन अधिकारी की राय होगी। अनुसंधान के बाबत अन्तिम आदेश/निर्णय सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक का होगा, लेकिन न्यायालय में आरोप–पत्र सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी के माध्यम से ही पेश किया जायेगा।

17/6/15

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी थानाधिकारियों को निर्देशित करें कि स्क्रूटनी से सम्बन्धित कार्यवाही में परिपत्र की पालना की जावे।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान को भेजकर लेख है कि समस्त अधीनस्थ अभियोजन अधिकारियों को परिपत्र की प्राप्ति सुनिश्चित कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
7. रक्षित पत्रावली।

17/6/15

विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट

1. संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करने वाले अभियोजन अधिकारी का नाम ------------------------------
2. एफ0आई0आर0 संख्या, पुलिस थाना, शीर्षक, धारा ------------------------------
3. अनुसंधान अधिकारी का नाम ------------------------------
4. संवीक्षा हेतु पत्रावली प्राप्ति की दिनांक ------------------------------
5. बाद संवीक्षा पत्रावली लौटाने की दिनांक ------------------------------
6. अन्वेषण के दौरान उपलब्ध/जब्त वस्तुओं एवं दस्तावेजों की सूची

क्र.स.	वस्तुओं एवं दस्तावेजों का विवरण	साक्षियों के नाम

7. अनुसंधान पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण

क्र.स.	दस्तावेजों का विवरण	साक्षियों के नाम

8. अभियुक्त जमानत पर है या अभिरक्षा मे ------------------------------
9. यदि अन्वेषण से अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों व विरूद्व अपराध बनता है तो उनका नाम व विवरण ------------------------------
10. माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के निर्णय जो प्रकरण की सफलता में सहायक हो सकते है। ------------------------------
11. फरार अभियुक्तों के नाम और विवरण कि क्या उनकी उपस्थिति के लिए द0प्र0स0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी है। ------------------------------
12. अन्वेषण में रही ऐसी कमियों का विवरण जिन्हे पूरी करने में अनुसंधान अधिकारी असहाय था और अन्वीक्षा के दौरान इन कमियों पूरी करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का विवरण। ------------------------------

13 विशेष प्रक्रिया, प्रावधान, विशेष अधिकारी क्षेत्र प्रसंज्ञान अन्वेषण स्वीकृति उप धाराओं एवं विशेष अधिकारियों द्वारा अभियोजन प्रस्तुत करना तथा अधिकृत अभियोजनकृता अधिकारी आदि का प्रावधान सहित उल्लेख कर पूर्ति एवं आपूर्ति तथा अभियोजन प्रस्तुत करने के पूर्व पूर्ति किये जाने हेतु प्रावधान के अनुसार टिप्पणी

14 अनुसंधान में छोड़े गये ऐसे दोष जिन्हें अनुसंधान अधिकारी मिटा सकता था और इन दोषों को पूर्ण [illegible] सुझाव [illegible] पुनः अनुसंधान किया जाना इत्यादि

15 अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में छोड़े गये ऐसे दोष जिनको दूर नहीं किया जा सकता और अन्वीक्षा के दौरान इनका सामना करने के लिए तथा सुझाव इत्यादि

16 अनुसंधान में रही ऐसी कमियाँ जिनकी पूर्ति किया जाना आवश्यक है